30/01/23 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील अनु०। वादी स्वयं अनु.। वादी वकील और वादी को न्यायालय समय में रुक-रुक कर तीन बार आवाज लगाई गई। न तो वादी वकील उप० न हि वादी उप० अतः पत्रावली अदम पैरवी/ अदम हाजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो संख्या से कम हो

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:24:24 IST
Reason: SelfAttested